FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....मुकेश..चन्द्र.....बनाम.....चन्द्रास..वगै0.....

.....

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225.....नं.....51.....सन्.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.7.23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गोयल उपस्थित। इनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नंबर 16/2019 बउनवान चन्द्रास बनाम राधाकिशन में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.03.2019 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के अन्तिरम आदेश दिनांक 19.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण, दिनांक 08.05.2019 तक इस कदर जारी की गई कि विपक्षीगण को आगामी तिथि तक इस आशय कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 227 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 280 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम विशनपुरा की ढाणी तहसील सवाई माधोपुर पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आगामी दिनांक तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश विधि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है । उक्त आराजीयात भोला बैरवा दत्तक पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की खातेदारी की थी जिसको गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ने अपने नाम खातेदारी मे लगवा ली तथा तब रेस्पोडेन्ट नंबर 06 ने उक्त खातेदारी को हटाकर 1/2 रेस्पोडेन्ट नंबर 06 का नाम दर्ज करने का आदेश रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा दिये जाने पर 1/2 राधाकिशन का नाम दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 का कभी कब्जा व स्वामित्व नही होने से व अपीलार्थी का कब्जा व स्वामित्व होने से अदालत मातहत को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार नही है। इस बात पर गौर किये बिना ही मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.03.2019 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त आदेश एकतरफा मे अप्रार्थीगण को बिना सुने दिया गया है जिसको निरस्त करवाने के लिये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है लेकिन उसको निरस्त आज तक नही किया है तथा उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को इसलिये नही मिल सकी कि पत्रावली मे मोहर लगाकर तारीख बढा दी गई है। दिनांक 21.07.2023 को पटवारी हल्का द्वारा बताए जाने पर मालूम चला। अतः देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश विधि विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश दिनांक 19.03.2019 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2019 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अप्रार्थीगण को कोई सम्मन/सूचना दिए बिना, व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत है।

प्रथमः—अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 19.03.2019 में रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के 03 घटक; प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बारे में किसी भी प्रकार का विवेचन किए बिना ही अंतरिम आदेश पारित किया है जो विधि विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

द्वितीयः— किसी रिकॉर्डेड खातेदार को बिना सुने ही यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जाता है तो रजिस्टर्ड सम्मन द्वारा रिकार्डेड खातेदार इस संबंध में सूचित किया जाना आवश्यक है लेकिन अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि रिकॉर्डेड खातेदार को सूचना बाबत् रजिस्टर्ड सम्मन जारी ही नही किए गए, तथा लगभग 04 वर्ष से अपीलांट/अप्रार्थीगण को सुनवाई का मौका ही नही दिया जा रहा है। इस कारण भी दिनांक 19.03.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अपास्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 16/2019 बउनवान चन्द्रास बनाम राधाकिशन में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.03.2019 से जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त किया जाता है।

अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित समयावधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner